उपसभापति : आप चिल्लाएंगे नहीं ।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं संसद में चिल्लाकर सड़क की ओर जाना चाहता हूं कि... (**व्यवधान**) ।

उपसभापति : राम अवधेश जी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप बैठ जाइए । चिल्लाने से काम नहीं होगा । आपकी सारी बातें नोट हो गयी हैं । वह सरकार के पास जाएंगी इसलिये आप कृपया बैठ जाइए । उनका भी कोई महत्व का उल्लेख है ।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं आज यह मन बनाकर आया हूं कि सरकार जवाब दे कि वह क्या करेगी... (**व्यवधान**)...

उपसभापति : राम अवधेश जी, अब इसके अलावा आप जो बोलेंगे वह रिकार्ड में नहीं जाएगा आप बैठ जाइए । इस तरह आपकी बात की अहमियत खत्म हो जाएगी ।

श्री राम अवधेश सिंह : **

Need for introduction of Hindi an other regional languages as medium for examinations conducted by the Union Public Service Commission

डा० रत्नाकर पाण्डे (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में हिंदी और भारतीय भाषाओं को मान्यता दिए जाने के बाबत् आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । वहां कई महीनों से बहुत से हिंदी संगठनों और अनेक विश्वविद्यालयों के छात्र आमरण अनशन पर बैठ हुए हैं । महोदय, पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे राष्ट्र का सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के चुनाव करने का महत्वपूर्ण मंच है । उस मंच पर 41 वर्षों के बाद भी केवल एक परीक्षा में अंग्रेजी का विकल्प रखा गया है हिंदी और बाकी 14 परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता बना दी गयी है। यह बड़े ही चिंता का विषय है । इस देश के करोड़ों नौजवान भारतीय भाषाओं–तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मराठी अर्थात् संविधान में जितनी भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, मैं उन सभी का उल्लेख करना चाहता हूं, उनके माध्यम से परीक्षा देने का बंधन लगा दिया गया है । यह बड़े चिंता की बात है । अगर सदन सहमत होतो मैं कहूंगा कि सरकार के लिए शर्म की बात है कि एक विदेशी भाषा में, उनकी भाषा में जो हमें सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बनाए रहे, उनकी भाषा में परीक्षा ली जाय । उसकी अनिवार्यता बनाए रखी जाए इस सदन में बार-बार यह प्रश्न उठता रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय का ध्यान उस ओर नहीं गया है । लोक सेवा आयोग के अधिकारी उन संस्तुतियों को सरकार को फारवर्ड करने के लिए तैयार नहीं हैं कि भारतीय भाषाओं में परीक्षाएं हों । इस देश में जहां करोड़ों बच्चे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं पढ़ते हैं उनको केवल अंग्रेजी की अनिवार्यता बनाकर इस देश की प्रगति में हिस्सेदारी से दूर रखने का षड्यंत्र ब्यूरोक्रेटस कर रहे हैं । मैं गृह मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं कि अभी घोषणा की गयी है कि दो वर्ष में आई०टी०आई० की परीक्षाएं हिंदी और भारतीय भाषाओं में होने लगेंगी । लेकिन गृह मंत्रालय जिस तरह से जनता की आवाज को और भारतीय जनतंत्र की अभिव्यक्ति वाली हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ जो अन्याय, अत्याचार और एक तरह से कान में रुई डालकर बैठा हुआ है, उसकी निंदा मैं इस सदन के माध्यम से करता हूं । मैं मांग करता हूं कि पी०एस०सी० की सभी परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए । इस देश के करोड़ो नौजवानों को धोखा न दिया जाय । मैं मांग करता हूं गृह मंत्रालय जल्दी-से-जल्दी हिंदी और भारतीय भाषाओं को पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में माध्यम बनाए ।..... (**व्यवधान**)... इन शब्दों के साथ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आपके माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय को कहना चाहता हूं जो ब्यूरोक्रेटस इसमें बाधक हैं उनके विरुद्ध

*Not recorded.

कार्रवाई करनी चाहिए । संसदीय राजभाषा समिति के कई माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं उनके सामने जब पब्लिक सर्विस कमीशन लोग आये थे तो हर प्रश्न का उन्होंने टालने वाला उत्तर दिया । यह कहा कि हम नहीं कर सकते। यह अनुचित है और यह उनकी मनमानी है । गृह मंत्रालय के सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण का द्योतक है इसकी मैं निन्दा करता हूं । मैं मांग करता हूं कि जैसे शिक्षा मंत्रालय ने दो वर्ष के अंदर आई०आई०टी० की परीक्षाएं हिन्दी और भारतीय भाषाओं में अनिवार्य की हैं उसी तरह से निश्चित रूप से पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं भी अनिवार्य रूप से हिन्दी और भारतीय भाषाओं में भी होनी चाहिए ताकि इन देश की नयी पीढ़ी अपनी आत्माभिव्यक्ति अपनी भाषा में करके अपनी योग्यता के अनुरूप सरकारी महकमों में अपना स्थान पा सकें । धन्यवाद ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : हम हृदय से इसका समर्थन करते हैं ।

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : सारा सदन इसका समर्थन करता है ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल (उत्तर प्रदेश): हम इसका समर्थन करते हैं । (व्यवधान)

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात) : मुझे यह कहना है कि संविधान में इसकी स्वीकृति दी हुई है लेकिन स्वीकृति देने के पश्चात् भी यहां जो नियम पारित किये गये हैं, संसद ने जो संकल्प पारित किया है उसका भी सही रूप से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है । जो राजभाषा का स्टेटस है उसकी मांग करता हूं । मैं केवल हिन्दी समर्थन की बात नहीं करता लेकिन राज भाषा का जो स्तर है उस स्तर को सही मात्रा में जो गौरव मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है । संविधान में जो स्वीकृत किया गया है उसको सही रूप से कार्यान्वयन करने की कड़े शब्दों में आपके माध्यम से मांग करता हूं ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (मध्य प्रदेश) : महोदया, यह प्रश्न पहली बार इस सदन में नहीं खड़ा हुआ है । अनेकों बार पहले भी खड़े हो चुके हैं और फिर भी मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं । आई०आई० टी० की परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को दूर करने के लिए छात्रों को वहां पर भूख हड़ताल करनी पड़ी, धरना देना पड़ा । संघ लोक सेवा आयोग के सामने भी इस समय धरना चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है। इसके बजाय अच्छा होगा कि जहां-जहां पर अंग्रेजी की अनिवार्यता है और भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर किसी भी प्रकार की पाबन्दी है उन सब जगहों पर जहां केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है वह स्वयं उसमें पहल करके, देख करके इसकी व्यवस्था कर दे ताकि इस प्रकार की मांग करने की जरूरत न पड़े ।

इस सदन में एक समय था जब केवल अंग्रेजी और हिन्दी में ही बोला जाता था लेकिन आगे चल कर सब को स्वीकार हुआ कि कोई भी तमिल में बोलना चाहे, तेलुगु में बोलना चाहे, कन्नड़ में बोलना चाहे तो वह बोल सकता है लेकिन पहले से सूचना देनी पड़ेगी कि वह कन्नड़ में बोलना चाहता है, तमिल में बोलना चाहता है या तेलुगु में बोलना चाहता है ताकि उसकी व्यवस्था की जा सके । इसके लिए हमें कोई धरना नहीं देना पड़ा । इसी प्रकार से मैं समझता हूं यहां पर संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं वह इस सदन की इच्छाओं को ध्यान में रख कर सरकार से कहेंगे कि वह इसमें पहल करे और जो यू० पी० एस० सी० के सामने छात्रों का धरना चल रहा है उनको जाकर आज ही आश्वासन देंगे कि इस दिशा में वह यह करने जा रहे हैं । मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वह अवश्य इस पर ध्यान देंगे । सारा सदन इससे सहमत है ।

उपसभापति : पूरा सदन इससे सहमत है इसलिए अलग-अलग बोलने की जरूरत नहीं है । (व्यवधान)

डा० अब्दार अहमद खान (राजस्थान) : संघ लोक सेवा आयोग पर छात्र आंदोलन

[डा० अबरार अहमद खान]

कर रहे हैं। आप देखिये विदेशी भाषा को कितना महत्व दिया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यू० पी० एस० सी० में जो प्रशासनिक परीक्षाएं होती है उसके अंदर सबसे पहले अंग्रेजी की कापियां जांची जाती हैं। अगर अंग्रेजी में कोई फेल हो जाता है तो बाकी विषयों की कापियां नहीं जांची जाती। यही महत्व दिया जा रहा है हमारे यहां की भाषाओं को ? इसीलिए हम हिन्दी को क्यों राष्ट्रभाषा कहते हैं ? अंग्रेजी जो गुलामी की प्रतीक हैं उनको इतना महत्व दिया जा रहा है। उपसभापति महोदया, मैं आप के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम किसी भाषा को अलग से विशेष महत्व न दिया जाये। कापियां अगर जांची जाएं तो सब साथ साथ जांची जाएं। जो मैरिट लिस्ट बनायी जाएं वह सभी भाषाओं की कापियां एक साथ जांचने के बाद ही बनायी जाएं। (**व्यवधान**)

उपसभापति : आप बैठ जायें। पूरा सदन इसके साथ सहमत है। अभी दूसरा काम भी करना है इसलिए आप बैठ जाइये।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : आश्वासन तो दिला दीजिए।

उपसभापति मंत्री जी अभी कैसे आश्वासन दे सकते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : जब सारा सदन इससे सहमत है तो मंत्री जी को आश्वासन देना चाहिए (**व्यवधान**)

उपसभापति : पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर मौजूद हैं। यह इस सदन की इच्छाओं को सरकार को पहुंचा देंगे और जो कुछ सरकार इस पर निर्णय लेगी उसको हाउस को आकर बता देंगे। अब कृपा बैठ जाइये।

12.00 NOON

उपसभापति : मंत्री जी यहां पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स के यहां पर मौजूद हैं। वे आपकी बात सरकार तक पहुंचायेंगे और जो कुछ सरकार निर्णय लेगी, उसको हाउस में भी बतायेंगे। अब आप बैठ जाइये सब लोग, हमें दूसरा काम भी करना है ... (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : महोदया, मैंने अभी बोलना है ... (**व्यवधान**)

उपसभापति : आप बोल चुके हैं। अब क्या बोलना है ? बिल पर बोल लीजिए।

श्री राम अवधेश सिंह : बिल पर नहीं बोलना है, हमको बिहार के बारे में बोलना है। आपकी सरकार क्या कर रही है हम जवाब चाहते हैं। जवाब नहीं होगा तो मैं इसी सदन में बैठकर धरना दूंगा। ... (**व्यवधान**) ...

उपसभापति : मैं आपसे कह रही हूं कि आप बैठ जाइये, बस बैठे रहिए।

श्री राम अवधेश सिंह : सरकार जवाब दे, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ... (**व्यवधान**)

उपसभापति : मैंने आपको दो मिनट पहले बताया कि हाउस चलाने का कोई तरीका होता है आपने स्पेशल मेंशन किया, आपकी बात मंत्री जी ने सुनी। मंत्री जी उसकी सरकार तक पहुंचायेंगी। उसका जवाब आपको मिलेगा, मगर आप यहां धरना दे रहे हैं, मैं कहती हूं आप बैठ जाइये। Nothing will go on record that you say.

श्री राम अवधेश सिंह : मैं नहीं बैठूंगा मैं सरकार से मांग कर रहा हूं .... (**व्यवधान**)

(इस समय माननीय सदस्य सभापीठ के सामने वाले खाली स्थान पर बैठ गए)

उपसभापति : यह कोई अच्छा तरीका नहीं है। आप इस हाउस के मैम्बर हैं यह बहुत समझदारी की बात होगी कि आप यहां से चले जाइये। मैं आपसे रिक्वैस्ट करती हूं कि आप यहां से बाहर चले जाइए। इससे कोई फायदा नहीं

होगा । अखबार वाले कुछ लिखेंगे नहीं ...(व्यवधान)

अब हम अगला कार्य शुरू करते हैं । श्री शंकरानन्द ।

I. CONSTITUTION (SIXTY - SECOND AMENDMENT) BILL, 1988.

II. REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1988.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): Madam, I beg to move;

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

I also beg to move:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950, and the Representation of the People Act, 1951, as passed by the Lok Sabha be taken into consideration."

The two Bills represent a historic step towards the further strengthening of the democratic process in our country. Ours is one of the biggest and stable democracies in the world. A large percentage of our population lives in rural India. All our citizens may not be highly educated; but they are wise and matured. When it comes to the question of exercising the right to vote, the Indian voter, whether he is in urban area or the rural area, is quite clever and politically conscious.

The success of Parliamentary democracy in our country is admirable. Hon. Members are aware that the subject 'electoral reforms' has been keenly debated, both in the Parliament and outside. We have an old established electoral svstem and codified election laws covering all aspects of the preparation for and the conduct of elections. Since Independence, we have been holding elections. On a review of all the previous elections held, it is found that the electoral process and the system have been under various stresses and strains which, if allowed to remain unchecked, may undermine the very democratic process and the system itself. Our past experience emphasised a pressing need for improvements in the electoral process. Government and the Election Commission have been studying the question of electoral reforms for a long time past. From time to time, the Election Commission formulated several proposals. Government have taken necessary steps to bring about improvements. Hon. Members would recall that the Government, under the bold and dynamic leadership of Shri Rajiv Gandhi, the Prime Minister, took the unprecedented step by enacting the Constitution (Fifty-second Amendment) Act to deal with the evil of political defection. Another significant step also taken was the enactment of the Companies (Amendment) Act, 1985, to legitimise the flow of funds from corporate sector to political parties. Recently, the Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act was passed to separate religion from politics. The two Bills, the present Bills, now brought before the House are in continuation of the efforts of the Government to further strengthen the electoral process.

Various proposals regarding electoral reforms have been widely debated in the press and other fora. Several political parties expressed their views and suggestions, both in Parliament and outside. Government took due note of all these various sugeestions. Government also held consultations with the representatives of political parties in Parliament to ascertain their snecific ideas. The Prime Minister had also conveyed to this House the serious concern of the Government regarding electoral reforms. If the matter was taking time, it was only because the subject was complex and